उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्याः-1874/78-1-2020-15आई0टी0/2020

लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012 दिनांक 15 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है। उक्त नीति के प्रस्तर-9.3 (ii) में व्यवस्था है कि स्टार्टअप्स की अनुदान मांगों के अनुमोदन हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा तथा मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर ही स्वीकृति/संवितरण किया जाएगा।

2- उक्त नीति के अन्तर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पी.एम.आई.सी.) द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2020 को सम्पन्न बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में मूल्यांकन समिति (Evaluation Committee) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	निदेशक, आईआईटी कानपुर द्वारा नामित प्रतिनिधि	लीड सदस्य
2	अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	आईआईएम लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	एसटीपीआई लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	सिडबी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	आईआईटी बीएचयू द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	के0आई0ई0टी0 गाजियाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष आमंत्री के रूप में एक स्टार्टअप	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य संयोजक
10	उप महाप्रबन्धक, यूपीएलसी	फेसिलिटेटर
11	पीआईयू के कन्सल्टेण्ट	फेसिलिटेटर

3- उक्त समिति का कार्यकाल 12 माह का होगा। इस अवधि के पश्चात् पीएमआईसी द्वारा पुनः नये सदस्यों का नामांकन किया जायेगा। समिति की बैठकें प्रति माह आयोजित की जाएगी।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1874(1)/78-1-2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

3- मूल्यांकन समिति के सदस्यगण।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव